न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 10 / 2022

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
01.स्व0 रूघनाथराम के वारिसानः— 01/01.हरचन्दराम पुत्र स्व0 रूघनाथराम, जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, हाल निवासी तिंवरी जोधपुर । 02. स्व0 थानाराम के वारिसानः— 02/01.भल्लाराम पुत्र स्व0 थानाराम, जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, हाल निवासी रामपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली । 02/02.बगदाराम पुत्र स्व0 थानाराम, जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, हाल निवासी तिंवरी, जोधपुर ।		01. नारायणराम पुत्र श्री गोकलराम 02. पुसाराम पुत्र श्री गोकलराम 03.ढ़लाराम पुत्र श्री गोकलराम,जातियान हरीजन, निवासीगण ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 04.सम्पतराज पुत्र श्री बद्रीलाल, जाति खटीक,निवासी,हुडकोक्वाटर सेक्टर, किर्तिनगर, मगरा पूंजला, जोधपुर। 05.रवि पुत्र श्री सम्पतराज, जाति खटीक, निवासी अशोक कॉलोनी, किर्तिनगर, मगरा पूंजला, जोधपुर । 06. ग्राम पंचायत शिकारपुरा, जरिये सरपंच ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 85 जो ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक निल को ग्राम शिकारपुरा के खसरा संख्या 433 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 451 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के हक में स्वीकृत किया गया ।

अधिवक्तागणः —

1. अपीलार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की तरफ से अधिवक्ता श्री हरिसिह कच्छावाह
3. रेस्पोडेन्ट संख्या चार व पांच की तरफ से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह ।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या छः बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :— 6/2/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 433 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 451 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि मूल रूप से रूगनाथ, थानीया पिता बन्ना, कौम बावरी, अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि थी उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के पिता के नाम से बिना किसी वैध/रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण संख्या 85 के द्वारा दर्ज कर दी गयी । उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय अपीलाण्ट के पिता अथवा अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया एवं बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के नाम से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियां उनके नाम से दर्ज कर दी गयी । इसलिये नामान्तरकरण संख्या 85 बिना

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

किसी आधार के दर्ज किया जाकर स्वीकृत होने से शुरू से ही शुन्य एवं प्रभावहीन हैं ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध निम्नलिखित आधारों पर यह अपील पेश की गयी हैं :–

ए. कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढ़ंग से स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं ।

बी. कि ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व रेकर्ड, हस्तान्तरण विलेख एवं कब्जे की विस्तृत जॉच की जानी चाहिये थी लेकिन ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन से मिलीभगत करते हुए उनके हक में बिना वैध/रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण संख्या 85 दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

सी. कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने में कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया तथा बाले बाले तरीके से ही मिलावटी कार्यवाही के तहत नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं स्वीकृत करने में सारी कारगुजारी की गयी जो कि केवल मात्र नुकशान पहुंचाना एवं अनावश्यक मुकद्धमें बाजी में घसीटना ही ग्राम पंचायत का एक मात्र उद्धेश्य था ।

डी. कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार के काबिज हैं तथा उक्त नामान्तरकरण की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन द्वारा बेचान करने लग गये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार व पांच बिना कब्जा के ही राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से इन्द्राज करवाकर अपीलाण्ट को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए हैं ।

ई. कि नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृति से पूर्व कब्जें के बारें में कोई जॉच नहीं की गई एवं इसलिये बिना जॉच पड़ताल किये नामान्तरकरण स्वीकार किया ही नहीं जा सकता था ।

एफ. कि नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की हैं इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

अंत में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 85 जो कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा, द्वारा स्वीकृत किया गया हैं उसे निरस्त किया जावें ।

अपील के साथ ही अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति करने अपील के प्रार्थना पत्र पेश किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की तरफ से अधिवक्ता श्री सचिव दवे ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार व पांच की तरफ से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह ने अपना वकालतनामा पेश किया ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा संख्या 433 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 451 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वाा आयी हुई स्थित हैं । उक्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट बहैसियत खातेदार के काबिज हैं हाल ही में दिनांक 15.05.2022 को रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा संख्या 433 प 451 की कृषि भूमि पर भूखण्ड काटकर कब्जा करने की नियत अपीलाण्टगण को बेदखल करने का प्रयास किया गया एवं अपीलाण्ट को धमकी दी गयी कि हमारें नाम से उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि दर्ज हैं इसलिये तुम लोग खसरा संख्या 433 व 451 में से अपना कब्जा हटा लेवें इस पर अपीलाण्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो नामान्तरकरण संख्या 85 का पुराने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज पाया गया जिस पर अपीलाण्टगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 85 की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 27.05.2022 को प्राप्त की गयी तो पटवारी द्वारा अपीलाण्ट को बताया गया कि अपीलाण्ट का नाम उक्त दोनो खसरान के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं उसको देखकर मालुंम हुआ कि उक्त दोनो खसरान की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के नाम से दर्ज हैं उक्त खसरें की भूमि बिना वैध/रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के दर्ज कर दी गयी हैं । उक्त नामान्तरकरण बिना किसी रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के दर्ज किया गया हैं व बिना किसी आधार के होने से शुरू से ही शुन्य एवं प्रभावहीन हैं ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है । नामान्तरकरण संख्या 85 पटवारी हल्का से अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.05.2022 को प्राप्त किया गया एवं इस नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 27.05.2022 को ही प्राप्त हुई हैं इसलिये तमाम कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के ही की गयी हैं । प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश हैं । साथ ही यह भी निवेदन किया कि केवल मात्र म्याद के बिन्दु के आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता हैं एवं म्याद के सम्बन्ध में लचीला रूख अपनाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये । इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति करने अपील के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को भी अपनी बहस में दौहराये गये एवं बताया कि अपीलाण्ट स्व0 रूघनाथ एवं थानाराम के वारिसान हैं जिनके हित भी हस्तगत नामान्तरकरण से प्रभावित हुए हैं इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र भी स्वीकार करने का निवेदन किया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी बेचाननामा के आधार पर ही स्वीकृत किया गया हैं एवं बिना बेचाननामा के तथाकथित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करके अपीलाण्ट के पिता रूघनाथराम एवं थानाराम का नाम हटा दिया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई भी बेचाननामा पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं जिससे यह प्रमाणित होता हो कि बेचाननामे के आधार पर नामान्तरकरण विधिवत् स्वीकृत किया गया हैं एवं यह भी बताया कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा कभी भी कोई बेचाननामा रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड किसी प्रकार का रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के हक में निष्पादित नहीं किया गया था एवं कब्जा आज भी अपीलाण्ट का निरन्तर हैं । अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जावें ।

इसके विपरित रेस्पोडेन्ट अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बेचाननामें के आधार पर स्वीकृत किया गया हैं जो कि उक्त बेचाननामा तीन रूपयें के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था । अपीलाण्ट द्वारा इतने वर्षो के अंतराल के बाद इस बेचाननामे के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को चैलेन्ज किया गया हैं जिसे चैलेन्ज करने के अपीलाण्ट को कोई अधिकार शेष नहीं रहें हैं एवं उक्त बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात अपीलाण्ट का कोई कब्जा भी नहीं रहा हैं इस कारण से इतने वर्षो के विलंब के आधार पर ही यह अपील खारिज किये जाने योग्य हैं एवं अपील करने के कोई अधिकार अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हैं क्योंकि अपीलाण्ट के पूर्वजों द्वारा ही अपने जीवनकाल में उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन को बेचान की जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट सव्यय खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया । सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर यह निश्कर्ष निकलता हैं कि किसी भी पक्षकार को म्याद के बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । माननीय उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनेक न्यायिक निर्णयों में म्याद के मामलों में लचीला रूख अपनाने के निर्देश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती हैं

दूसरी यह हैं कि अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति पेश करने अपील का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो कि अपीलाण्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 85 के पक्षकार रूघनाथ एवं थानाराम के वारिसान हैं जो कि रूघनाथ एवं थानाराम के स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट ही हित्तबद्ध पक्षकार हैं ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति करने अपील का स्वीकार किया जाता हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अब रही बात नामान्तरकरण संख्या 85 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने की तो रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन हैं उनके द्वारा ही अपीलाधीन नामान्तरकरण में बेचाननामें के आधार पर विवादग्रस्त कृषि भूमि खरीद करनी बतायी गयी हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन द्वारा न तो धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन किया गया एवं न ही ऐसा कोई बेचाननामा पत्रावली में पेश किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता हो । हमने नामान्तरकरण संख्या 85 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । नामान्तरकरण संख्या 85 के कॉलम संख्या 14 एवं 15 में दर्ज प्रविष्टि में न तो खसरा संख्या का कही उल्लेख हैं एवं न ही रकबे का कहीं उल्लेख हैं केवल मात्र रूपयें एवं दिनांक अंकित करके बेचान के आधार पर नामान्तरकरण पटवारी द्वारा दर्ज करना जाहिर होता हैं । हमारी विनम्र राय में 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि को केवल मात्र 95 रूपयें में बेचान दर्शित करना एवं बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करके ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने की बात सही नहीं लगती हैं । यदि किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड बेचाननामा किया जाता तो रेस्पोडेन्ट द्वारा अवश्य ही इस अपील में भी पेश किया जाता जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन जो कि स्वयं तथाकथित खरीददारान हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई बेचान का दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं जिससे यही जाहिर होता हैं कि किसी प्रकार का कोई बेचाननामा निष्पादित ही नहीं हुआ हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 85 जो कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा ग्राम शिकारपुरा के खसरा संख्या 433 एवं 451 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के हक में स्वीकृत किया गया हैं उसे निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे नामान्तरकरण संख्या 85 के स्वीकृत होने के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए मृत खातेदारों के विरासत की नामा0 की कार्यवाही करें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

यह निर्णय आज दिनाक 6/2/24 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लूणी